

भा0कृ0अनु0प0- केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर (राजस्थान) - 334006

क्रमांक: 3 (45)बीके/2012/खण्ड-1/

दिनांक: 03.06.2016

अल्पकालीन निविदा सूचना

संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय की ओर से मरु क्षेत्रीय परिसर, बीकानेर के फार्म परिसर पर सिंचित व बारानी क्षेत्रों में हिस्सा पद्धति के आधार पर चारा उत्पादन करने वाली दाने की फसलों को उगाने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए संबंधित/इच्छुक ठेकेदारों से मोहरबंद निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।

निविदा सूचना से संबंधित दाने की फसलों को उगाने की विस्तृत जानकारी, निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तें आदि संस्थान की वेबसाइट www.cswri.res.in अथवा www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है।

इच्छुक निविदादाता संस्थान की वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर अथवा कार्यालय से 1000/- रुपये निविदा शुल्क (नोन रिफन्डेबल) जमा करवाकर दिनांक 17-06-2016 दोपहर 12-00 बजे तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। भरी हुई निविदाएं दिनांक 17-06-2016 को अपरान्ह 1-00 बजे तक अमानत राशि रुपये 10,000/- के साथ प्रशासन अनुभाग में टेन्डर बॉक्स में डाल सकते हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3-00 बजे समिति द्वारा खोली जावेगी।

संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को प्राप्त किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी



भा0कृ0अनु0प0- केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर (राजस्थान) - 334006



3(45)/बीके/2012/खण्ड-प्रथम/

दिनांक:- 03.06.2016

निविदा प्रपत्र

1 निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	: दिनांक 17.06.2016 12.00 बजे तक
2 निविदा -प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	: दिनांक 17.06.2016 दोपहर बाद 1.00 बजे
3 निविदा -प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	: दिनांक 17.06.2016 दोपहर बाद 3.00 बजे
4 अमानत राशी	: रु 10,000/- (रु दस हजार मात्र)
5 निविदा -प्रपत्र की मान्य अवधि	: 120 दिन
6 निविदा प्रपत्र शुल्क	: रु 1000/- (डाऊन लोड अथवा बाई हेण्ड)

इस संस्थान के प्रक्षेत्र परिसर में सिंचित एवं बारानी के क्षेत्रों (1.डिग्गी क्षेत्र 2. मारवाड़ी से आगे कनासर साइड नहरी सिंचित क्षेत्र 3. मगरा सेक्टर के पास बारानी क्षेत्र) की लिए वर्ष भर चारा प्रदान करने वाली दाने की फसलों की बुवाई हिस्सा पद्धति पर कार्य करने के लिए जिसमें सम्पूर्ण चारा संस्थान का होगा तथा संस्थान को दाने में अधिकतम हिस्से देने वाली फर्म /ठेकेदार को कार्य आवंटन किया जायेगा इच्छुक निविदादाताओं से मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है

नियम व शर्त

1. निविदा -प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेंगे (जोकि प्रपत्र सूची में दर्शाया गया है) निविदा संस्थान के प्रभागाध्यक्ष महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 17.06.2016 तक समय 1.00 बजे (दोपहर) तक टेंडर बाक्स में डालना होगा सशर्त तथा देरी से प्राप्त निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किए की जायेंगे। ठेकेदार को पहचान के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड,पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है निविदा उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे खोली जायेगी
2. निविदादाता को प्रपत्र के साथ अमानत राशि रु 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में देय जो कि Punjab National Bank, Branch- Beechwal industrial Area, Bikaner (Rajasthan) में भुगतान योग्य हो संलग्न करना होगा। बिना निविदा शुल्क व अमानत राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. सफल निविदादाता को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार धरोहर राशि रु 20,000/- जमा करनी होगी धरोहर राशि अनुबंध संतोषजनक पूरा होने के बाद नियमानुसार वापिस लौटाई जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि अनुबंध के दौरान ठेकेदार का कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि को जब्त कर ली जायेगी।
4. ठेकेदार यदि आवंटित क्षेत्र में पाला, सेवन,धामन घास की कटाई करता है तो उसे 40 प्रतिशत हिस्सा संस्थान को देना होगा।
5. अनुबंध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से 2वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असन्तोषजनक रहा तो धरोहर राशि जब्त करते हुए अनुबंध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
6. उगाई गई फसलों से प्राप्त सम्पूर्ण चारा संस्थान का होगा तथा स्वीकृत निविदा -प्रपत्र के अनुसार दाने में संस्थान को अधिकतम हिस्सा देने वाली फर्म /ठेकेदार को कार्य आवंटन किया जायेगा। ठेके में दी गई फसलों के अलावा कोई अन्य फसलों की बुवाई करने की अनुमति नहीं होगी
7. बुवाई फेंसिंग से 20 फुट छोड़कर करनी होगी, ताकि सुरक्षा के लिए गश्त की जा सके।
8. बुवाई से संबन्धित सभी संसाधन जैसे बीज,खाद छोटे व बड़े कृषि में काम आने वाले सभी यंत्रों की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
9. फसलों के लिए नहरी पानी के लिए बिल का भुगतान संस्थान द्वारा दिया जावेगा। यदि डिग्गी के क्षेत्र में ठेकेदार बिजली का उपयोग करता है तो उसका बिल ठेकेदार को भरना होगा।
10. डिग्गी क्षेत्र में यदि ठेकेदार फव्वारा पद्धति से रबी फसल की सिचाई करता है तो उपलब्धता के आधार पर पाईप एवं फव्वारा दिए जा सकते हैं। लेकिन बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
11. फसल की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

12. ठेकेदार द्वारा बोई गई किसी भी फसल एवं किसी भी क्षेत्र में संस्थान द्वारा फल अथवा चारे वाले पेड़ों की रोपाई कराई जा सकती है जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
13. ठेके के दौरान ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा संस्थान की संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो उसका समस्त हर्जाना ठेकेदार को उठाना होगा।
14. निविदा प्रपत्र में दर्शाये अनुसार दाने का हिस्सा करने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। सम्पूर्ण चारा व संस्थान के हिस्से के दाने को ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रभारी फार्म अनुभाग के बताए अनुसार पहुँचना होगा। इसके लिए ट्रेक्टर एवं ट्रॉली ठेकेदार की होगी।
15. कार्यालय आदेश कार्य ठेका मिलते ही तुरंत प्रभाव से प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग के निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ करना होगा। पटी ठेका स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय पत्र अधिकृत अधिकारी(सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को करना होगा। प्रतिनिधियों (पहचान -पत्र) का फोटो आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम,पता मोबाइल न० इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
17. अनुबंध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार /उनके पतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता /क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी। ठेके की अवधि में कार्य के दौरान लगाए जाने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान श्रमिक नियमों के अनुसार करना होगा। एवं श्रम नियमों की पूर्ण पालना ठेकेदार को करनी होगी।
18. ₹ 100/- के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध का इकरारनामा पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अंदर स्वयं के खर्च पर कार्यालय में जमा कराना होगा अन्यथा जमा सिक्कोरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी तथा अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
19. संस्थान के प्रभागाध्यक्ष को बिना कारण बताए कोई भी ठेका /निविदा स्वीकार करने/ रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी

उपरोक्त नियम एवं शर्तें मँने पूर्ण होश हवास में पढ़ एवं समझ ली है तथा मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है और उपरोक्त कार्यों के लिए फसलों मे दाने का हिस्सा निम्न प्रकार होगा :-

1.	डिग्गी वाले क्षेत्र में लगभग 15-20 हैक्टर	फसल का नाम	दाने में संस्थान का हिस्सा प्रतिशत में	दाने में ठेकेदार का हिस्सा प्रतिशत में
अ	असिंचित क्षेत्र में खरीफ की फसल	ग्वार मोठ एवं मूंग		
ब	सिंचित क्षेत्र में रबी की फसल	चना जौ एवं गेहूँ		
2.	मारवाड़ी सेक्टर से आगे कानासर साइड तक के लगभग 25-30 हैक्टर नहरी सिंचित क्षेत्र	ग्वार, मोठ, मूंग, चना, जौ एवं गेहूँ		
3.	तारबंदी युक्त मगरा सेक्टर के पास लगभग 18 हैक्टर बारानी क्षेत्र में।	ग्वार, मोठ, मूंग,		

दिनांक : -----

हस्ताक्षर ठेकेदार -----

पूरा पता -----

मोबाइल न० -----

संलग्न

1. पेन कार्ड की फोटो प्रति अथवा आधार कार्ड की फोटो प्रति
2. ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति
3. अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट ----- दिनांक -----रूपये
4. निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट ----- दिनांक -----रूपये